



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

शिक्षा विभाग /Department of Education

पत्रांक: 066/2019 /जा.क्र./217

दिनांक: 01/05/2019

सूचना

शिक्षा विभाग के बी.एड. (सत्र 2018-20), एम.एड. (सत्र 2018-20) एवं बी.एड.-एम.एड. एकीकृत (सत्र 2017-20) के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका प्रायोगिक कार्य (कार्यशाला आदि) दिनांक 01-07-2019 से प्रारंभ होना निर्धारित है। प्रायोगिक कार्य संबंधित समस्त क्रियाकलापों में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रायोगिक कार्यों में सभी छात्रों को कम से कम 90 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है।

अतः सभी विद्यार्थी 01-07-2019 से प्रारंभ होने वाले प्रायोगिक कार्य में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

for *Forney*
(विभागाध्यक्ष)

डाकघर : हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र) भारत

Post Office : Hindi Vishwavidyalaya, Wardha- 442001 (Maharashtra) India.